



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1942 (श10)

(सं० पटना 795) पटना, वृहस्पतिवार, 15 अक्तूबर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

15 अक्तूबर 2020

सं० एम-01-004/2020-47—बिहार विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2020 के अवसर पर ई०वी०एम०/वीवीपैट का उपयोग करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का निदेश सं०-576/3/ईवीएम/2020/एसडीआर/खण्ड-I दिनांक 12.10.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ।

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 3 अक्टूबर, 2020, 11 आश्विन 1942(शक)

सं. 576/3/ईवीएम/2020/एसडीआर/खण्ड-I ।- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः आयोग ने निर्वाचन आयोग के दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे०नो०/64/2020 के तहत घोषित, बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और आयोग संतुष्ट है कि बिहार के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई०वी०एम०) एवं वीवीपैट प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए दिनांक 01.10.2020, 09.10.2020 और 13.10.2020 को अधिसूचित की गयी/अधिसूचित की जाने वाली बिहार के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,
नरेन्द्र ना. बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 795-571+50-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>